आदर्श निर्देशिका
(विकासकर्ताओं हेतु)

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड/फ्लैट्स का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन

योजना का शुभारम्भ 10.09.2025	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय पता श्री विनायक गार्डन विस्तार, महला व चाणचुक्या, मौजमाबाद, जयपुर	आवेदन की अन्तिम तिथि 09.10.2025

योजना का नामः– श्री विनायक गार्डन विस्तार

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना

1.	रेरा पंजीयन कमांक	RAJ/P/2022/2309
2.	योजना में भूखण्ड	33
3.	योजना में भूखण्ड	1646.44 व.मी.
4.	आवंटन दर	8000/–
5.	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	दिनांक 11.10.2025
6.	आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाईट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक 11.10.2025 से 13.10.2025 तक
7.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	दिनांक 14.10.2025 से 15.10.2025 तक
8.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन अवधि	दिनांक 16.10.2025
9.	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 29.10.2025 समय 12.00 बजे स्थान. योजना श्री विनायक गार्डन विस्तार, ग्राम महला व चाणचुक्या मौजमाबाद, जयपुर

योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम व शर्ते इत्यादि वेबसाइट http:// www.shyamashishsvg.com पर देखी जा सकती है।

विकासकर्ता के हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की आदर्श निर्देशिका

1. **योजना का विवरण :– श्री विनायक गार्डन विस्तार**

1.	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2022/2309
2.	योजना में भूखण्ड	33
3.	योजना में भूखण्ड	1646.44 व.मी.
4.	आवेदन करने की अवधि	दिनांक 10.09.2025 से 09.10.2025 तक
5.	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	**दिनांक 11.10.2025**
6.	आवेदनकर्ताओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	**दिनांक 11.10.2025 से 13.10.2025 तक**
7.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	**दिनांक 14.10.2025 से 15.10.2025 तक**
8.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन अवधि	**दिनांक 16.10.2025**
9.	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 29.10.2025 समय 12.00 बजे
10.	विकासकर्ता / खातेदार का नाम एवं कार्यालय का पता	**दिनांक 29.10.2025 समय 12.00 बजे स्थान. योजना श्री विनायक गार्डन विस्तार, ग्राम महला व चाणचुक्या मौजमाबाद, जयपुर**
11.	वेबसाइट / ई–मेल	http://www.shyamashishsvg.com
12.	सम्पर्क मोबाईल नं.	9828016157

सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रो में विकासकर्ता द्वारा करवाया जावेगा।

2. <u>आवंटन की प्रकिया :–</u>

2.1 प्रोविजन 1ए– लॉटरी से आंवटित पात्र सफल आवेदकों का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षैत्रीय जोन उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा। क्षैत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आंवटित भूखण्डों की लीजडीड जारी की जावेगी।

2.2 प्रोविजन 3ए– लॉटरी से आंवटित पात्र सफल आवेदकों का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षैत्रीय जोन उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा।

2.3 प्रोविजन 3बी–लॉटरी से आंवटित पात्र सफल आवेदकों का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षैत्रीय जोन उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा। विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आंवटित भूखण्ड का आवंटन पत्र सीधे ही सफल आवंटी को करवाया जावेगा।

2.4 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 20.02.2018 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आंवटन किये जाने के पश्चात् आवंटन से शेष आवासो का आवंटन ''पहल आओ पहले पाओ'' के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।

2.5 राजस्थान रेरा प्राधिकरण में योजना का रेरा में पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।

2.6 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि के उक्त योजना के आंवटन में लागू रहेंगे।

3. **लॉटरी हेतु आवेदन करने की पात्रता :**

3.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयुक्त आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।

3.2 आवेदन फार्म में आवेदक को स्वंय का आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर अपडेट कराना होगा।

3.3 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट् (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

3.4 जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आंवटित नही हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में आवेदक ने आंवटन करवाकर भूखण्ड विक्रय कर दिया है तो आवंटन का पात्र नही है।

3.5 नगरीय विकास एवं आवास विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.18 (36)यू.डी.एच./एन.ए.एच.पी./2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 के अनुसार कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) आवेदक की वार्षिक आय, भूखण्ड/फ्लैट् का निर्मित क्षैत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई है :—

क्र. सं.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी
	(ii) भूखण्ड	30—45 वर्गमीटर	45 व.मी. से अधिक 75 वमी. तक
1	योजना में भूखण्ड/फ्लैट की संख्या	16 भूखण्ड	17 भूखण्ड
2	योजना में भूखण्ड/फ्लैट का क्षेत्रफल		
3	(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	3,00,000/—प्रति वर्ष	3,00,001/— से 6,00,000/— तक प्रति वर्ष
	(ii) आवंटन दर अ—आवासीय आरक्षित दर रू. 8000/— प्र.व.मी.	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत 4000/— प्र.व.मी	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत 6400/— प्र.व.मी
	(iii)पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	10,000/—	20,000/—

3.6 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति,पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2024—25 (01 अप्रेल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोंतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

3.7 आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते है उन्हे आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण में अंकित करना होगा।

3.8 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नही होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएगें।

3.9 योजनाओं में उपलब्ध फ्लैटों एवं भूखण्ड की संख्या में कमी/वृद्धि की सूचना विकासकर्ता/निजी खातेदार/फर्म की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आंवटित भूखण्ड/फ्लैट् का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।

3.10 मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के तहत निर्धारित दर 1260 रू. प्रति वर्गफीट (राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.02.2018 के अनुसार पूर्व की दर रू. 1200/— प्रति वर्गफीट में 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर) के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2020 तक का निर्धारित दर 1323/— रूपये प्रति वर्गफीट में से रूपये 100 प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय एवं रूपये 50/— प्रति वर्गफिट संधारण मद में रखी जावेगी। शेष राशि विकासकर्ता के पास रहेगी।

3.11 योजनाओं में आवेदन के लिए भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नानुसार किया जावेगा। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी		अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग अनारक्षित श्रेणी	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)			एकल महिला	अनारक्षित श्रेणी	ट्रांस्जेण्डर
10%		**6%**	**9%**	**5%**	**2%**	**10%**			**56 %**		**2 %**
						शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)			
EWS	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	2			**9**		**0**
LIG	**2**	**1**	**2**	**1**	**0**	2			**9**		**0**

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 04.01.2021 के अनुसार विकलांग कोटा 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत निराश्रित भूमि विहिन एकल महिला का अपने कोटे में (horizontal) Reservation देय होगा।

- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटो का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियॉ की नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होगें, बशर्ते कि आवेदक स्वंय की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणीयों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविधालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत है उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होगे।
- अनु.जाति/अनु.जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं जो शारिरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नि/पुत्र व उस पर आश्रित से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार में केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों एवं भूखण्डों हेतु सैनिक स्वंय आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नही होगें।
- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नही होगें।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।
- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट् अथवा भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 50/—रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र सलंग्न करना

आवश्यक है। सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित फ्लैटों अथवा भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

(अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यू ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो)

(ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

(द) निर्मित क्षेत्रफल में फ्लेट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।

- नगरीय विकास एवं आवास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश प. 18(36)नविवि / NAHP / 2014 पार्ट दिनांक 20.02.2018 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार निर्धारित दर पर बेचे जाने वाले सभी प्रावधानों में लिफ्ट की सुविधा सम्मिलित की जाती है तो अधितकम 50 ईकाईयों पर प्रति लिफ्ट के हिसाब से प्रस्तावित करने पर विकासकर्ता को रू. 75/– प्रति वर्ग फिट की दर से अधिक भुगतान किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः जिन परियोजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है, उनमें से किसी प्रोजेक्ट में अधिकतम 50 ईकाईयों पर प्रति लिफ्ट सुविधा का प्रावधान होने पर उपरोक्तानुसार अतिरिक्त चार्ज देने के लिए आवंटी बाध्य होगा।

4. आवेदन की सामान्य शर्ते :–

4.1 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वंय के नाम होवें एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व **स्वंय के नाम से** चालू स्थिति में हो। **संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नही होगा।**

4.2 लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिए सफल होने पर उच्चतम (प्रथम) वरीयता वाले फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।

4.3 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती है वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटर पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होगें।

4.4 योजनाओं में उपलब्ध फ्लैटों एवं भूखण्डों की संख्या में कमी की जा सकती है। जिसकी सूचना विकासकर्ता/निजी खातेदार/व्यक्ति/फर्म की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी।

4.5 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Cose, बैंक का नाम एवं ब्रान्च का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। **संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नही होगा।**

5. **भूखण्ड/फ्लैट्स के आवेदन फार्म निरस्त करने से संबंधित बिन्दु :**

5.1 आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात् लॉटरी से पूर्व आवेदन–पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि आवेदन निश्चत पश्चात ही आवेदन किया जावें।

5.2 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेगे तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

5.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

5.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

5.5 आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस. सी. कोड इत्यादि देने पर)

5.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।

5.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

5.8 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटों एवं भूखण्डों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन फार्म में स्वंय का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण विवरण दिया जाना आवश्यक है।

5.9 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाँच संबंधित विकासकर्ता द्वारा की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आंवटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड निरस्त कर आंवटित फ्लैट्/भूखण्ड का भौतिक कब्जा वापिस ले लिया जावेगा।

5.10 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि भूखण्ड आवंटन करवाने में सफल हो जाता है। एवं आवंटन जारी होकर भूखण्ड की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता/उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लैट् अथवा भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।

6. **लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रकिया :**

6.1 विकासकर्ता द्वारा निकाली जाने वाली लॉटरी में क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है जो आंवटित प्रकिया (Allotment Process) में भाग लेगे एवं लॉटरी में उपस्थित रहेगें।

6.2 योजना में फ्लैट/भूखण्ड की लॉटरी निकालते समय कुल फ्लैट/भूखण्डों की संख्या का 10 प्रतिशत वरियता के अनुसार प्रतिक्षा सूची में निकाली जावेगी। लॉटरी में सफल आवेदक को आवंटित फ्लैट/भूखण्ड की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा में वरियता के आधार पर आंवटित किये जा सकेगें।

6.3 लॉटरी में सफल हुए आवेदक निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर–अन्दर सम्बन्धित विकासकर्ता के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- ➢ शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए)
- ➢ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी।)
- ➢ आधार कॉर्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)
- ➢ सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2024–25 (अथवा जो वित्तीय वर्ष लागू हो) को प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वंय, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- ➢ आरक्षित श्रेणी के सफल आंवटी को संबंधित प्राधिकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति यथा–Govt. Employee/SC/ST/Handicap/Accredited Journalist/Soldier

6.4 विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में फ्लैट् अथवा भूखण्ड की कीमत विकासकर्ता को जमा करवानी होगी।

6.5 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में निर्धारित माध्यम से NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट द्वारा विकासकर्ता के खाते में एक मुश्त जमा करानी होगी।

6.6 आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्डों का मौके पर डिमारकेशन विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।

7. **असफल आवेदकों को प्रशासनिक शुल्क की वापसी :**

7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैकिंग के माध्यम या अन्य माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व IFSC Code में NEFT के माध्यम से विकासकर्ता द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।

8. **अन्य महत्वपूर्ण शर्ते :**

8.1 फ्लैट् एवं भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आंवटित किए जावेगें तथा भूखण्ड की लीज डीड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जावेगी।

8.2 आवंटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आंवटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन कम कब्जा पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।

8.3 जोन उपायुक्त द्वारा आंवटितयों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जायेगा।

8.4 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वंय वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही फ्लैट् अथवा भूखण्ड का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जायेगा।

8.5 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आंवटी को सम्पति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि

8.6 राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आंवटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नही किया जा सकता है अतः विकासकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नही किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आंवटन रद्द कर फ्लैट् अथवा भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।

8.7 आवंटन में प्राप्त फ्लैट् अथवा भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नही करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लघंन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने का समस्त अधिकार होगें।

8.8 आवासीय ईकाई (फ्लैट्) से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी की आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जायेगा। रख रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। प्रारम्भिक तौर पर इस बाबत् आवंटन आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये राशि रू. 2000/– अल्प आय वर्ग के लिये 3000/– तथा मध्यम आय वर्ग 'अ' लिये 5000/– आवंटी द्वारा जमा करानी होगी, जो कि सोसायटी के खाते में विकासकर्ता द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा नियमित रख–रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी। सोसायटी का गठन संबंधित विकासकर्ता द्वारा आवंटियों से समन्वय कर करवाया जायेगा।

8.9 फ्लैट् का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट् में निवास अनिवार्य होगा अन्यथा विकासकर्ता राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन

निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियों को आंवटन का पूर्ण अधिकार होगा।

8.10 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का निर्माण कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

8.11 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध भूखण्ड एवं फ्लैट्स की संख्या में कमी अथवा बढोतरी की जा सकती है।

****

स्वप्रमाणित

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं.. पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. ....आयु............ ....निवासी.. ....शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नही है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/दूंगी।
3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु. जाति/अनु.जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगें, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे स्वयं पति/पत्नी तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नही हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं... पुत्र/पत्नी/पुत्री..................................... .... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित

<u>आय प्रमाण–पत्र</u>

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..जाति..
निवासी...तहसील..........................
जिला..राज्य.................. की स्वंय पत्नी/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रू0..........................प्रतिमाह है एवं मेरा पैन नम्बर .... है।

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं.. पुत्र/पत्नी/पुत्री...................................... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..
....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
इस विभाग में..पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल मासिक आय रू0...प्रति माह हैं।

दिनांक :

स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय मोहर विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...... ....निवासी..जिला............सम्भाग................राज्य....................जाति..............के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति(सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु

(आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नही होगा।)

प्रमाणित किया जाता हैं कि...(रैंक)....................................(नाम)................................. (नम्बर)............................

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपये............................प्रतिमाह हैं।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपये............ ....प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री...............................है।इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू................प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नही किया हैं।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी /सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/सुश्री...................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री........ ....निवासी ....की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

....

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.... ....निवासी...तहसील..........................जिला...................अधिस्वीकृत पत्रकार हैं।

स्थान :
दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति